मध्यप्रदेश शासन
श्रम विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक 1060/1580/2020/ए-16, भोपाल, दिनांक 28/11/2020

प्रति,

1 समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश
2 समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश
3 समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश
4 समस्त आयुक्त / मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगरीय निकाय, मध्यप्रदेश
5 समस्त सहायक श्रमायुक्त/ श्रम अधिकारी / सहायक श्रम अधिकारी, मध्यप्रदेश
6 समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मध्यप्रदेश

A.C.(Sain)

विषय:- मध्यप्रदेश जनकल्याण (संबल) योजना के अंतर्गत लंबित स्वीकृत प्रकरणों के संबंध में।

संदर्भ:- मध्यप्रदेश शासन श्रम विभाग का पत्र क्रं. 583/श्रम विभाग/2020 भोपाल, दिनांक 16.07.2020 तथा 646/1320/2020/ए-16 दिनांक 22.11.2019 , तथा पत्र क्र. 638/893/2020/ए-16 दिनांक 31/08/2020

*****

उपरोक्त विषयान्तर्गत जैसा कि आपको विदित है मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिको की पात्रता संत्यापन हेतु 01 जुलाई 2019 से सत्यापन अभियान प्रारंभ किया गया था।

2. यह कि उक्त सत्यापन अभियान में केवल मृत्यु के कारण अपात्र घोषित श्रमिको की पात्रता सत्यापन की कार्यवाही प्रथम संदर्भित निर्देश के परिपालन में आपके द्वारा की जा रही है। उक्त सत्यापन में पात्र पाये गये श्रमिको को हितलाभ भुगतान हेतु पोर्टल पर व्यवस्था की जा रही है। वर्तमान में प्रदेश स्तर पर उक्त प्रकार की 498 प्रकरण सत्यापन हेतु लंबित है, जिनकी सूची पत्र के साथ संलग्न है। सत्यापन कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात पोर्टल पर सत्यापित पाये गये हितग्राहियो का ईपीओ विहित प्राधिकारी द्वारा जारी किया जा सकेगा। अत: तत्काल सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाये, जिससे हितग्राहियो को भुगतान प्राप्त हो सके।

3. यह कि संदर्भित पत्र दिनांक 31.08.2020 द्वारा भौतिक सत्यापन में लंबित रह गए सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं, जिनके सत्यापन की कार्यवाही आपके द्वारा की जा रही है। ऐसे प्रकरण जो सत्यापन अभियान के पूर्व एवं सत्यापन के

दौरान स्वीकृत हुए हैं परन्तु उनका भुगतान अभी सत्यापन न होने के कारण लंबित है, को भी पोर्टल पर सत्यापन हेतु प्रदर्शित करा दिया गया है। इन प्रकरणों में विहित प्राधिकारी को अत्याधिक सतर्कता के साथ सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण करानी है अपात्र व्यक्ति को पात्र घोषित करने, दोहरा भुगतान करने की स्थिति निर्मित होने एवं अन्य किसी त्रुटि के लिए विहित प्राधिकारी पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होगा।

4. यह कि संदर्भित पत्र दिनांक 22/11/2020 के परिपालन में 6 दिसम्बर 2019 से डीबीटी पद्धिति से हितग्राही के खाते में भुगतान किया जा रहा है। कतिपय जिलो द्वारा ऐसे प्रकरणो की जानकारी दी जा रही है जिन्हे डीबीटी प्रणाली प्रारंभ होने के पूर्व स्वीकृत कर दिया गया था किंतु भुगतान नही किया गया। ऐसे प्रकरणो में दो परिस्थतियां हो सकती है -

1. प्राधिकृत अधिकारी के पास बजट की उपलब्धता थी किंतु उनके द्वारा हितलाभ भुगतान नहीं किया गया ऐसी स्थिति में संबंधित की जिम्मेदारी तय करते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।

2. प्राधिकृत अधिकारी के पास योजना अंतर्गत बजट राशि उपलब्ध नही थी ऐसे प्रकरणों में आवश्यक राशि की जानकारी संपूर्ण जांच उपरांत प्रकरणवार निर्धारित प्रपत्र में प्रेषित की जावे। ध्यान रहे कि किसी भी स्थिति में दोहरे भुगतान की स्थिति निर्मित ना हो। उक्त कार्य 31 दिसम्बर 2020 तक आवश्यक रूप से पूर्ण कर लिया जावे।

3. यह कि कतिपय जिलो में यह भी हो सकता है कि पदाभिहित अधिकारी द्वारा तात्कालिक व्यवस्था के दृष्टिगत अन्य विभाग/ योजना के मद से हितग्राही को राशि भुगतान की गयी हो। ऐसे प्रकरणो की जानकारी भी पृथक से 31 दिसम्बर 2020 तक प्रेषित की जाये।

उपरोक्त समस्त कार्यवाही अतिशीघ्र पूर्ण की जाये जिससे लंबित प्रकरणो का त्वरित निराकरण संभव हो सके।

(छोटे सिंह)
उप सचिव
म.प्र. शासन, श्रमविभाग
भोपाल, दिनांक 28/11/2020

पृ.क्रमांक 1061/1580/2020/ए-16,

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, म.प्र.शासन, मंत्रालय, भोपाल।
2. मुख्य सचिव के उप सचिव/ स्टॉफ ऑफिसर, म.प्र. शासन, मंत्रालय, भोपाल।
3. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।

.....2/3